न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 131/2017 प्रार्थना पत्र

श्रीमती स्वर्णलता जैन पत्नी अशोक कुमार जैन, जाति जैन, आयु 55 साल, निवासी आर.के. कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

– प्रार्थी

//बनाम//

1. सलीम खां पिता घासी खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री सुधीर कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित
पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.01.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की वाके मौजा निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 453 रकबा 1649 रकबा 1.0700 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 7 की आराजी नं. 1217 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा थे। इस आराजी में से प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज उसके 1/16 हिस्से में से 1/5 अर्थात 1/80वां हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 02.03.2007 को क्रय किया तथा आराजी पर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। संवत 2058–61 के रोटेशन की जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम जरिये इन्तकाल संख्या 3612 दिनांक 30.03.2007 से खातेदारी में दर्ज हुआ। उसके बाद सेटलमेण्ट अधिकारियों ने संवत 2067–70 की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम खातेदारी से हटा दिया तथा इसकी कोई सूचना भी प्रार्थीया को नहीं दी। प्रार्थीया का नाम पुनः खातेदारी में जोड़ा जाना आवश्यक है। भूमि पुनः विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण हुई है इसलिए इन्द्राज दुरूस्त करते हुए राजस्व रेकार्ड में पुनः प्रार्थीया का नाम जोड़ा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीया के कथनों को स्वीकार किया है तथा प्रार्थीया द्वारा विवादित भूमि में से 1/80 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र खरीदना स्वीकार किया है और राजस्व रेकार्ड में भी इसका अंकन होना स्वीकार किया है। बाद में सेटलमेण्ट के दौरान प्रार्थीया का नाम रेकार्ड में अंकित नहीं हो सका जबकि वर्तमान में प्रार्थीया का अपनी खरीदशुदा भूमि पर कब्जा होकर वाणिज्यिक प्रयोजन होकर दूकान निर्माण कर रखी होना बताया है। साथ ही प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है।

बहस विद्वान अधिवक्ता विपक्षी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2072-75 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 453 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल ग्राम निम्बाहेड़ा, नकल जमाबन्दी संवत 2067-70 ग्राम निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 66, इन्तकाल संख्या 3612, दिनांक 30.03.2007 ग्राम निम्बाहेड़ा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड से स्पष्ट है कि पूर्व में प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत आराजीयात में से 1/80 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से खरीदा गया था जिसका अंकन जरिये इन्तकाल संख्या 3612, दिनांक 30.03.2007 से राजस्व रेकार्ड में हो चुका है। वर्तमान रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम विलोपित होना त्रूटीपूर्ण है जिसे संशोधित किया जाना उचित है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा निम्बाहेड़ा की आराजी नं. 1649 रकबा 1.0700 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 1 सलीम खां के नाम दर्ज 425267/8796480 हिस्से में से 91000/8796480 वां हिस्सा प्रार्थीया के तथा शेष 334267/8796480 वां हिस्सा विपक्षी संख्या 1 सलीम खां के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रकार्ड में अंकन किया जावे। शेष रेकार्ड बदस्तुर रहेगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.01.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested